भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016¹

[01-07-2020 तक संशोधित]

सं. आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी 003.— : बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 207 और 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमन बनाता है, अर्थात्-

अध्याय-I

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- 1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियमन 29 नवंबर, 2016 से प्रवृत होंगे ।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो-

²[(क) "नियत कार्य(असाइनमेंट)" से किसी दिवाला व्यावसायिक का अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, शोधन अक्षमता न्यासी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या संहिता के अधीन किसी अन्य भूमिका में कोई नियत कार्य अभिप्रेत है;

¹ अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी003., दिनांकित 23-11-2016, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

 $^{^{2}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (कक) "नियत कार्य (असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार" से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किसी ऐसे दिवाला व्यावसायिक को, जो उसका व्यावसायिक सदस्य है, उसकी उपविधियों के अनुसार जारी किसी नियत कार्य को आरंभ करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (कख) "विधिज्ञ परिषद्" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित कोई विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;'।
- (ख) "पंजीकरण का प्रमाण पत्र" से बोर्ड द्वारा इन विनियमों के साथ पठित संहिता की धारा 207 के अधीन प्रदान किए गए पंजीकरण के प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है;
- (ग) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) से अभिप्रेत है;
- (घ) "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;
- (ङ) "भारतीय लागत लेखाकार संस्थान" से लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;
- (च) "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है; और
- (छ)"व्यावसायिक सदस्य' से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के सदस्य के रूपमें नामांकित किए गए व्यक्ति से अभिप्रेत है।
- (2) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमनों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही आशय होंगे जो उन्हें इस संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय-॥

दिवाला परीक्षाएं

3. (1) यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से ऐसी रीति में और ऐसे समय अंतराल पर, जैसा कि विहित किया जाए, 'राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा' का आयोजन करेगा।

- (2) यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा।
- ³[(3) सीमित दिवाला परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, अर्हक अंक और उसकी बारंबारता, परीक्षा से कम से कम तीन माह पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

अध्याय-III

दिवाला व्यावसायिकों का पंजीकरण

पात्रता

- 4. कोई व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकरण का पात्र नहीं होगा यदि वह -
 - (क) नाबालिग है;
 - (ख) भारत में न रहता हो;
 - (ग) यथास्थिति विनियमन 5 या विनियमन 9 में निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव न रखता हो;
 - (घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा छ: माह से अधिक अवधि के लिए या नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और दंड समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष न बीते हों;

परंतु यह यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके लिए उसे सात वर्ष या अधिक अविध के के लिए सजा दी गई है तो वह पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा;

(ड.) वह एक अभुक्त दिवाला है या उसने दिवाला के रूप में निर्णय हेतु आवेदन किया हो;

³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (च) उसे अस्वस्थ मानसिकता वाला घोषित किया गया हो; या
- (छ) वह उपयुक्त और उचित व्यक्ति न हो।

स्पष्टीकरण- यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति इन विनियमनों के अधीन उपयुक्त और उचित है, यह बोर्ड सही समझे जाने वाले निम्नलिखित मानकों सहित परंतु उन तक सीमित न रहते हुए किसी भी दृष्टिकोण से विचार करेगा -

- (i) सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र,
- (ii) अपराध सिद्धि और निरोधक आदेश न होना, और
- (iii) वितीय साख तथा निवल मूल्य सहित सक्षमता।

4[अर्हताएं और अनुभव

- 5. (1) इन विनियमनों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने -
 - (क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकन के लिए अपने आवेदन की तारीख से पूर्व बारह माह के भीतर सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;
 - (ख) उसने किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में व्यवसायिक सदस्य के रूप में नामांकन के पश्चात से ऐसा पंजीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जैसी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए; और
 - (ग) उसने -
 - (i) बोर्ड द्वारा यथा-अन्मोदित राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;
 - (ii) बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित स्नातक दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;
 - (iii) विधि द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् प्रबंधन का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है; अथवा
 - (iv) के रूप में दस वर्ष का अन्भव है-

⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (क) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट,
- (ख)भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत कंपनी सचिव,
- (ग) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत लागत लेखाकार, या
- (घ)बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता |

पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

- 6. (1) किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में पंजीकृत कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप क में दस हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है।
- (2) यह बोर्ड इस विनियमन के अधीन आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर इसकी पावती देगा।
- (3) यह बोर्ड आवेदक को समुचित समय के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, प्रस्त्त करने को कह सकता है।
- (4) यह बोर्ड किसी आवेदक को समुचित समय के भीतर बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन पर कार्रवाई के लिए अपेक्षित स्पष्टीकरण हेत् उपस्थित होने को कह सकता है।

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

- 7. (1) यदि बोर्ड आवश्यक समझे जाने वाले निरीक्षण या जांच के बाद संतुष्ट है कि आवेदक इन विनियमनों के अधीन पात्र है तो वह बोर्ड आवेदन प्राप्ति के साठ दिन के अंदर इन विनियमनों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप ख में दिवाला व्यावसायिक के कार्यकलापों को चलाने हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है जिसमें बोर्ड द्वारा यथास्थिति अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।
- (2) यह पंजीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक -

- (क) हमेशा संहिता, इसके अधीन नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों तथा दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह पंजीकृत है, की उप-विधियों का पालन करेगा;
- (ख) हमेशा विनियमन 4 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करेगा;

⁵(खक) ऐसी निरंतर व्यावसायिक शिक्षा पूरी करेगा, जैसी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए; (खख) संहिता के अधीन अपने किसी कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पालन, सिवाय उनके जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात हैं, बाहरी स्रोत से नहीं कराएगा।]

⁶[(ग) बोर्ड को, उस वर्ष के पश्चात् जिसमें प्रमाणपत्र दिया जाता है, प्रत्येक पांच वर्षों में दस हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेगा और ऐसी फीस उस वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, जिसमें वह देय होती है. संदत्त की जाएगी;

दृश्टांत

जहां वर्ष 2017-18 में, रजिस्ट्रीकरण 2 फरवरी, 2018 को अनुदत्त किया जाता है वहां फीस पांच वर्षों के पश्चात् (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23) 1 अप्रैल, 2023 को देय होगी और वह 30 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व संदत्त की जाएगी

(गक) बोर्ड को, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ड में की विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा;]

⁷[परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा।]

- (घ)यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपनी सेवाएं तब तक नहीं देगा जब तक कि वह विनियमन 13 के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का एक भागीदार या निदेशक नहीं बन जाता;
 - (ङ) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में अपनी व्यावसायिक सदस्यता अंतरित करने के लिए दोनों संबंधित दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद बोर्ड की पूर्व अनुमित लेगा;

[్] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित । ⁷अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

- (च) शिकायतों के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय करेगा;
- (छ) कोई कार्य पूरा होने के कम से कम तीन वर्ष तक संहिता के अधीन उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों का रिकार्ड रखेगा;
- (ज) इन विनियमनों के पहली अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करेगा; और
- (झ) बोर्ड द्वारा लगाई गई ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगा।

⁸[नियतकार्य के लिए प्राधिकार

7क. कोई दिवाला व्यावसायिक 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् तब तक कोई नियतकार्य स्वीकार या हाथ में नहीं लेगा जब तक कि वह, यथास्थिति, ऐसे नियत कार्य के स्वीकार या प्रारंभ करने की तारीख को कोई विधिमान्य प्राधिकार धारित न करता हो:

परन्तु इस विनियम के उपबंध ऐसे किसी नियत कार्य को लागू नहीं होंगे जिसे कोई दिवाला व्यावसायिक -

- (क) 31 दिसम्बर, 2019; या
- (ख) नियत कार्य के लिए उसके प्राधिकार के अवसान की तारीख, को आरंभ कर रहा है।]

प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार

- 8. (1) यदि विनियमन 6 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद बोर्ड का प्रथम दृष्टतया यह मत है कि पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए तो ऐसा मत बनाने के कारणों को सूचित करेगा और आवेदक को बोर्ड से सूचना प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर एक अंतिम मत बनाने के लिए यह स्पष्ट करने का अवसर देगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाए।
- (2) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के अंदर आवेदक को उप-विनियमन (1) के अधीन सूचित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा यथास्थिति अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

 $^{^{8}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (3) उप-विनियमन (1) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि हो पर विचार करने के बाद यह बोर्ड अपना निर्णय सूचित करेगा -
 - (क) आवेदन की स्वीकृति और पंजीकरण प्रमाण पत्र,
 - (ख) एक आदेश द्वारा आवेदन की नामंजूरी और उसके कारण स्पष्टीकरण की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर।

सीमित अवधि के लिए पंजीकरण

- 9. (1) विनियमन 5 के किसी उपबंध के होते हुए भी कोई व्यक्ति सीमित अविध के दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकृत होने का पात्र होगा यदि वह -
 - (क) पंद्रह वर्ष से 'व्यवसायरत' रहा है -
 - (i) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत है,
 - (ii) एक कंपनी सचिव जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत है,
 - (iii) एक लागत लेखाकार जो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सदस्य के रूप में पंजीकृत है, या
 - (iv) किसी बार काउंसिल में पंजीकृत कोई अधिवक्ता; और
 - (ख) इन विनियमनों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप क में पंजीकरण के लिए आवेदन उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसके साथ वह पंजीकृत है, को 31 दिसंबर, 2000 को या उससे पहले पांच हजार रुपए की गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन फीस के साथ प्रस्तुत करे जिसे बोर्ड की ओर से उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा वसूल की जाएगी।
- (2) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी वसूल की गई फीस और उप-विनियमन (1)(ख) के अधीन प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

- (3) उप-विनियमन (1) में कोई व्यक्ति बोर्ड को उप-विनियमन (2) के अधीन ब्यौरे और फीस प्रस्तुत करने पर सीमित अविध के लिए पंजीकृत किया जाएगा जो प्रस्तुत करने की तारीख छ: माह की अविध के लिए मान्य होगा।
- (4) उप-विनियमन (3) के अधीन पंजीकृत कोई दिवाला व्यावसायिक अपना पंजीकरण समाप्त होने के बाद दिवाला व्यावसायिक के रूप में कोई कार्य श्रू नहीं करेगा:

परंतु वह अपना पंजीकरण समाप्त होने से पहले शुरू किए गए लंबित कार्यों को पूरा कर सकता है और उसका पंजीकरण इस सीमित प्रयोजन के लिए मान्य माना जाएगा।

⁹[अध्याय-IV

नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी करना और उसका अभ्यर्पण तथा अन्शासनिक कार्यवाहियां]

अस्थायी अभ्यर्पण

- 10. 10 [(1) कोई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जब वह -
 - (क) नियत कार्य के लिए कोई प्राधिकार जारी करती है या उसका नवीकरण करती है;
 - (ख) नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार को निलंबित या रदद करती है;
 - (ग) नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार का प्रतिसंहरण या निलंबन करती है;
- (घ) नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार के अभ्यर्पण को स्वीकार करती है, ऐसी कार्रवाई करने के एक कार्य दिवस के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी ।]
- (2) यह बोर्ड उप-विनियमन (1) के अधीन प्राप्त सूचना को नोट करेगा।

अन्शासनात्मक कार्रवाई

11.(1) किसी जांच या अन्वेषण के परिणामों, या अभिलेख में उपलब्ध मामलों के आधार पर यदि बोर्ड का प्रथम दृष्ट्या मत है कि धारा 220 के तहत अनुज्ञेय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह दिवाला व्यावसायिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

 $^{^9}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (2) कारण बताओ नोटिस लिखित में होगा और इसमें उल्लेख होगा कि -
 - (क) उस संहिता के प्रावधान, जिसके तहत यह जारी किया गया है;
 - (ख) कथित तथ्यों का विवरण;
 - (ग) कथित तथ्यों के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों का विवरण;
 - (घ) संहिता, नियम, विनियम, दिशा-निदेशों के प्रावधान, जिनके तहत कथित उल्लंघन किया गया है या वह तरीका जिसमें सार्वजनिक हित कथित रूप से प्रभावित किया जाता है;
 - (इ) यदि आरोप स्थापित होते हैं तो बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई या जारी किए जाने वाले प्रस्तावित दिशा-निदेश;
 - (च) वह तरीका जिसमें दिवाला व्यावसायिक को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना अपेक्षित है;
 - (छ) कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देने के परिणाम; और
 - (ज) कारण-बताओ नोटिस के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- (3) कारण बताओ नोटिस में उन दस्तावेजों, जिन पर यह आधारित है, की प्रतियां और जांच या निरीक्षण, या अन्य अभिलेखों की रिपोर्ट से प्रासंगिक हिस्से के सारांश को संलग्न होगा।
- (4) दिवाला व्यावसायिक को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित तरीके में होगा:-
 - (क) दिवाला व्यावसायिक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पावती सहित उस पते पर भेजना, जो उसके द्वारा दिया गया है या उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा दिया गया है जिसमें वह नामांकित है; या

- (ख) किसी उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिवाला व्यावसायिक के ई-मेल पते पर भेजना, जो उसके द्वारा दिया गया है या उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा दिया गया है, जिसमें वह नामांकित है।
- (5) बोर्ड कारण बताओ नोटिस के निपटान के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन करेगा।
- (6) अनुशासनात्मक समिति कार्य सौंपे जाने के छः माह की अविध के भीतर कारण बताओं नोटिस का निपटान करने का प्रयास करेगी।
- (7) अनुशासनात्मक समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में किसी उचित आदेश उप-विनियम (5) के तहत दिए गए कारण बताओ नोटिस का निपटान दिवाला व्यावसायिक द्वारा किये गये निवेदन, यदि कोई है तो, प्रासंगिक महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और वस्तुगत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद निपटान करेगी।
- (8) किसी कारण बताओ नोटिस के निपटान वाले आदेश में निम्नलिखित के लिए प्रावधान होगा -
 - (क) कोई कार्रवाई नहीं;
 - (ख) चेतावनी;

11[(खक) नियत कार्य के लिए प्राधिकार का निलंबन या रददकरण]

- (ग) धारा 220(2) से (4) के तहत कोई भी कार्रवाई; या
- (घ) धारा 220(5) के तहत बोर्ड द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई का संदर्भ।
- (9) उप-विनियम (7) के तहत पारित आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिन नहीं निकल जाते हैं या जब तक अनुशासन समिति अपने आदेश में कारणों सहित अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करती।

¹¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

(10) उप-विनियम (7) के तहत पारित आदेश दिवाला व्यावसायिक को उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह अभी नामांकित किया गया है, को जारी किए गए आदेश की एक प्रति सहित जारी किया जाएगा और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय V

दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता

दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता :

- 12. ¹²[(1) किसी कंपनी, किसी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी को किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में तभी मान्यता दी जा सकेगी, यदि -
 - (क) ¹³[उसका एकमात्र उद्देश्य दिवाला व्यावसायिकों को सहायता सेवाएं प्रदान करना है];
 - (ख) उसका शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए से कम नहीं है;
- (ग) उसके अधिकांश शेयर ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा धारित हैं, जो यदि वह एक कंपनी है तो उसके निदेशक हैं;
 - (घ) अधिकांश पूंजी अंशदान ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है, जो कि यदि वह एक सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या कोई रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है तो उसके भागीदार हैं;
 - (ङ) उसके अधिकांश, यथास्थिति, भागीदार या निदेशक दिवाला व्यावसायिक हैं;
 - (च) उसके अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक, यदि वह एक कंपनी है, दिवाला व्यावसायिक हैं; और
 - (छ) उसका कोई भी भागीदार या निदेशक किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदार या निदेशक नहीं है :

परन्तु भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियमन, 2018 के प्रारंभ की तारीख को मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, खंड

¹² अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/ जी.एन./आर.ई.जी.061, दिनांकित 30-06-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का 30 सितम्बर, 2018 को या इससे पूर्व और खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का 30 जून, 2018 को या इससे पूर्व अनुपालन करेंगी ।]
- ¹⁴[(2) उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति, दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता लेने के लिए बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में पचास हजार रूपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकेगा ।]
- 13. (1) ऐसी जांच या निरीक्षण, जो इन विनियमों के तहत आवेदक की पात्रता के लिए आवश्यक हैं, के बाद यदि बोर्ड संतुष्ट है तो वह दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता का एक प्रमाणपत्र इन विनियमों की दूसरी अन्सूची के प्ररूप घ में जारी कर सकता है।
- (2) यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -
 - (क) हमेशा विनियम (12) के तहत अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;

¹⁵[(ख) जब कोई व्यक्ति, उसका, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, बोर्ड को सात दिन के भीतर दो हजार रूपए की फीस सहित दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में सूचित करेगी;

¹⁶[परन्तु जब कोई व्यक्ति भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2020 तक, यथास्थिति, उसका निदेशक या भागीदार नहीं रह जाता है, तब दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसा निदेशक या भागीदार न रहने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी]

(ग) जब कोई व्यक्ति, उसमें यथास्थिति, निदेशक या भागीदार के रूप में शामिल होता है, बोर्ड को सात दिन के भीतर दो हजार रूपए की फीस सहित दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में सूचित करेगी;

 $^{^{14}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{15}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁷[परन्तु जब कोई व्यक्ति भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2020 तक, यथास्थिति, उसके निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करता है, तब दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसे निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी]

(गक) बोर्ड को, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में की विवरणी सहित ¹⁸[30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वितीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगी; और"।]

¹⁹[(गख) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप ज में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी:

परन्तु 31 मार्च, 2019 को मान्यताप्राप्त कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था, बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसम्बर, 2019 तक प्ररूप ज में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।]

- (घ) ऐसी अन्य शर्तों, जो भी विनिर्दिष्ट हैं, का पालन करेगा।
- (3) कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसी भागीदारी या निदेशकता के दौरान दिवाला व्यावसायिक के रूप में वचनबद्ध अपने भागीदारों या निदेशकों के सभी कार्यों या कृत्यों का संयुक्ततः और पृथकतः रूप से उत्तरदायी होगा।
- 14. जहां बोर्ड का मानना है कि किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वह एक तार्कसंगत आदेश पारित करके ऐसा कर सकता है।

¹⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा प्रतिस्थापित

 $^{^{19}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

²⁰[15. ब्याज - ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे, कर सकता है, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर, इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत्त फीस की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत्त किया जाएगा।

 $^{^{20}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्रथम अनुसूची [²¹विनियम 7(2)(ज) के अधीन] दिवाला व्यवसायिकों हेतु आचार संहिता स्वतंत्रता और निष्पक्षता

- 1. एक दिवाला व्यावसायिक ईमानदार, स्पष्टवादी और अपने समस्त व्यावसायिक संबंधों में निष्कपट रहेगा।
- 2. एक दिवाला व्यावसायिक किन्हीं तथ्यों या परिस्थितियों को गलत तरीके से पेश नहीं करेगा और किसी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा जिससे व्यवसाय की बदनामी हो।
- 3. एक दिवाला व्यावसायिक अपने व्यावसायिक कार्यों में यह सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता से कार्य करेगा कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय पक्षपात रहित, हितों के टकराव और दबाव रहित हों, तथा किसी पक्ष का अनुचित प्रभाव नहीं हो, भले ही वह दिवाला कार्रवाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है अथवा नहीं।
- ²²[3क. दिवाला व्यावसायिक को, जब कभी नियत कार्य के दौरान कोई हित-संघर्ष उसके सामने आता है, ऐसे किसी हित-संघर्ष के ब्यौरे हितधारकों को प्रकट करने चाहिएं ।]
- 4. एक अंतरिम संकल्प व्यावसायिक, संकल्प व्यावसायिक, समापक या शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त कोई दिवाला व्यावसायिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ऋणदाता की किसी आस्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा और नहीं जानते बूझते किसी रिश्तेदार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।
- 5. एक दिवाला व्यावसायिक को अपने व्यावसायिक संबंधों में पूर्ण स्वतंत्रता रखनी चाहिए और दिवाला संकल्प, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, को बाहय प्रभावों से दूर रखना चाहिए।

²¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

²² अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

- 6. यदि दिवाला व्यावसायिक समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान जब ऋणी की आस्तियों से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह या उसके संबंधी ऐसी किसी संपत्ति का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जानते बूझते अधिग्रहण नहीं कर रहे है अन्यथा यह माना जाएगा कि समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया में विषय से संबंधित कोई कमी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता नहीं थी और इस मामले में बोर्ड का अनुमोदन ले लिया गया है।
- 7. कोई दिवाला व्यावसायिक संहिता के तहत कोई कार्य नहीं लेगा यदि वह, उसका कोई संबंधी उस दिवाला व्यावसायिक निकाय, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, या जिसका वह दिवाला व्यावसायिक किसी भागीदार या वह निदेशक है, कारपोरेट व्यक्ति/ऋणी या इससे संबंधित पक्षों के संबंध में संहिता के तहत प्रक्रियाओं से संबंधित विनियम के अनुसरण में स्वतंत्र नहीं है।
- 8. एक दिवाला व्यावसायिक संहिता की धारा 53 या 178 के तहत वितरण के पात्र किसी हितधारक के साथ किसी आर्थिक या व्यक्तिगत संबंधों का प्रकटीकरण करेगा और संबंधित कारपोरेट व्यक्ति/ऋणी को इसकी जानकारी मिलते ही आवेदक, लेनदारों की समिति और नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों, जैसा भी लागू है, को घोषणा करके प्रकटीकरण करेंगे। ²³[8क. कोई दिवाला व्यावसायिक, लेनदारों की समिति और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, इस बारे में प्रकटीकरण करेगा कि क्या वह किसी बैंक या किसी वितीय संस्था का कर्मचारी था या उनके द्वारा पैनलित किया गया है और एजेंसी ऐसे प्रकटन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।
- 9. कोई दिवाला व्यावसायिक लेनदारों की समिति या ऋणी या अन्य हितधारकों को संहिता के तहत निर्णय या कार्य को प्रभावित नहीं करेगा, तािक अपने स्वयं के लिए या अपने संबंधित पक्षकारों के किसी अनुचित या गलत लाभ नहीं ले या अनुचित या गलत लाभों के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए कोई अनुचित वरीयता न हो और किन्हीं गलत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की अवैध या गलत साधनों को नहीं अपनाएगा।

व्यावसायिक सक्षमता

 $^{^{23}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

10. किसी दिवाला व्यावसायिक को सक्षम व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए उसकी व्यावसायिक जानकारी और कौशलता को बढ़ाना होगा।

सही तथ्यों और गलत फहिमयाँ दूर करने का वर्णन

- 11. किसी दिवाला व्यावसायिक को संहिता के तहत किसी गलतफहमी या गलत प्रतिफल, जिसका उसे पता है, को ऐसे व्यक्तियों को, जैसा कि संहिता के अनुसार जैसा भी आवश्याक हो।
- 12. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड, निर्णायक प्राधिकारी, या किसी हितधारक, जैसा भी लागू हो, से कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपानी चाहिए या उन्हें गलत विवरण देकर भ्रमित नहीं करना चाहिए।

समय-सीमाएं

- 13. किसी दिवाला व्यावसायिक को दिवाला संकल्प, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के लिए संहिता और नियमों, विनियमों और उसके तहत दिशा-निदेशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन करेगा और अपने कार्यों की ध्यानपूर्वक योजना बनाएगा और अपने कर्तव्यों का समय से निर्वहन करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ यथाशीघ्र संवाद करेगा।
- 14. कोई दिवाला व्यावसायिक संहिता के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों को करते समय गलत उददेश्य या लापरवाही से कार्य नहीं करेगा।

सूचना प्रबंधन

15. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हितधारकों के साथ सभी संवाद भले ही वे नोटिस, रिपोर्ट, अपडेट, दिशा-निदेश या स्पष्टीकरण के रूप में हो, अग्रिम और साधारण, स्पष्ट और प्राप्तकर्ताओं द्वारा आसानी से समझे जाने वाले तरीके से किए गए हैं।

- 16. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लिए गए किसी भी निर्णय, निर्णय लेने के कारण और ऐसे निर्णय के समर्थन में सूचना और साक्ष्यों का समसामयिक लिखित रिकार्ड रखता है। यह उसके निर्णयों और कार्रवाइयों की औचित्य पर विचार करने के लिए किसी तार्किक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाता है।
- 17. किसी दिवाला व्यावसायिक किसी हितधारक के साथ जब तक कोई निजी संवाद नहीं करेगा, तबतक कि संहिता, नियमों, विनियमों, उनके तहत दिशा-निदेशों या निर्णायक प्राधिकारी के आदेशों द्वारा यह अपेक्षित नहीं हो।
- 18. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह नामांकित किया गया है, द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण और जांच के लिए उपस्थित होना होगा और सहयोग करना होगा।
- 19. किसी दिवाला व्यावसायिक को, बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह नामांकित किया गया है, के द्वारा अपेक्षित सभी सूचना और रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा।
- 20. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड द्वारा आयोजित किसी आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और लेखा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और सूचना उपलब्ध करवानी होगी।

गोपनीयता

21. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिवाला संकल्प प्रक्रिया, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सूचना की हमेशा गोपनीयता रखी गई है। तथापि, इससे संबंधित पक्षों की सहमति या कानून की अपेक्षा पर कोई सूचना उपलब्ध कराने से नहीं रोका जाएगा।

व्यावसाय, रोजगार और प्रतिबंध

22. किसी दिवाला व्यावसायिक को क्षमता से अधिक कार्य लेने से रोकना होगा, यदि वह अपने प्रत्येक कार्य को पर्याप्त समय देने में समर्थ नहीं है। 23. कोई दिवाला व्यावसायिक अन्य कोई रोजगार नहीं करेगा जब तक कि वह दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसके साथ वह पंजीकृत है, का सदस्यता प्रमाणपत्र अस्थाई रूप से त्याग नहीं करता।

²⁴[23. किसी दिवाला व्यावसायिक को, जब वह नियत कार्य के लिए कोई विधिमान्य प्राधिकार धारण करता है या जब वह किसी नियत कार्य को कर रहा है, कोई नियोजन नहीं करना चाहिए।

23क. जहां किसी दिवाला व्यावसायिक ने किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन किया है वहां वह और उसके नातेदार, ऐसे किसी लेनदार, जिसकी मतदान शक्ति दस प्रतिशत से अधिक है, सफल समाधान आवेदक, कारपोरेट ऋणी या उनसे संबद्ध किसी पक्षकार को, संहिता के अधीन दी जाने वाली सेवाओं से भिन्न कोई व्यावसायिक सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे या खुली प्रतियोगिता भर्ती के माध्यम से प्राप्त नियोजन से भिन्न कोई नियोजन तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ऐसी प्रक्रिया से उसके विराम की तारीख से एक वर्ष की अविध व्यतीत न हो गई हो।

23ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, अपने किसी नियत कार्य से संबंधित किसी कार्य के लिए या उसके संबंध में अपने किसी नातेदार या संबद्ध पक्षकार को नहीं लगाएगा या नियुक्त करेगा । 23ग. कोई दिवाला व्यावसायिक, ऐसे किसी नियत कार्य के लिए या उसके संबंध में, जो उसके किसी नातेदार या संबद्ध पक्षकार द्वारा किया जा रहा है, कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराएगा ।

स्पष्टीकरण - खंड 23क से 23ग के प्रयोजनार्थ, "संबद्ध पक्षकार" का वहीं अर्थ होगा जो धारा 5 के खंड (24क) में उसका है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था नहीं आती है, जिसका दिवाला व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है ।]

24. कोई दिवाला व्यावसायिक ऐसा व्यापार नहीं करेगा जो बोर्ड के अनुसार व्यावसय की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।

पारिश्रमिक एवं लागत

25. किसी दिवाला व्यावसायिक पारिश्रमिक के लिए सेवा प्रदान करेगा, जो कि पारदर्शिता से वसूल किया जाए तथा कार्य को आवश्यक रूप से और उचित रूप से करने को दर्शाता है और लागू विनियमों के अनुरूप है।

 $^{^{24}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

²⁵[25क. दिवाला व्यावसायिक उसे संदेय फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्था को संदेय फीस और उसके द्वारा नियोजित व्यावसायिकों को संदेय फीस का प्रकटीकरण उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को करेगा, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है और वह एजेंसी ऐसे प्रकटन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ।]

26. कोई दिवाला व्यावसायिक अपने पारिश्रमिक निर्धारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित और प्रकटित हो, के अलावा कोई शुल्क और प्रभार स्वीकार नहीं करेगा।

27. एक दिवाला व्यावसायिक दिवाला संकल्प प्रक्रिया लागत, समापन लागत या शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत में होने वाली सभी लागतों का प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि सभी प्रासंगिक हितबद्धों पर लागू है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ये लागत अन्चित नहीं है।

उपहार और आतिथ्य सत्कार

28. एक व्यावसायिक या उसके संबंधियों को ऐसे भेंट या आतिथ्य सत्कार ग्रहण नहीं करना चाहिए जो एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में उसकी स्वतंत्रता नष्ट करे या उसे प्रभावित करें।

29. एक दिवाला व्यावसायिक को अपने व्यवसाय से संबंधित किसी कार्य को प्राप्त करने या व्यवसाय जारी रखने के लिए अथवा अपने व्यवसाय को रखने या जारी रखने में किसी अनिधिकृत फायदे के लिए, किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के उपहार या अतिथ्य सत्कार प्रदान नहीं करेगा।

21

 $^{^{25}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

द्वितीय अनुसूची ²⁶[प्ररूप क

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के अधीन

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक (आई.पी. प्रभाग) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) कृपया हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

विषय: दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन । महोदय/महोदया,

में, (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) में (व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक) के साथ (नामांकन की तारीख) को (व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक) के साथ व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित होने के कारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रिजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं। मेरा ब्यौरा निम्नलिखित रूप में है:

क. वैयक्तिक ब्यौरा

- 1. उपाधि (श्री/श्रीमती/स्श्री/अन्य):
- 2. नाम (पैन/आधार के अनुसार) :
- 3. पिता का नाम:
- 4. माता का नाम:
- 5. जन्म की तारीख:
- 6. जन्म-स्थान:
- 7. पैन:
- 8. आधार सं. (यदि उपलब्ध है) :
- 9. पासपोर्ट संख्यांक (यदि उपलब्ध है) :
- 10. जी.एस.टी.आई.एन. (यदि उपलब्ध है) :
- 11. डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन.(यदि उपलब्ध है) :
- 12. पत्र-व्यवहार के लिए पता (नोट: यह रजिस्ट्रीकृत पते के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
- 13. स्थायी पता:
- 14. ईमेल पता: (नोट: यह रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
- 15. मोबाइल नं. : (नोट: यह रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नं. के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):

 $^{^{26}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

16. आवासीय प्रास्थिति : भारत में निवासी व्यक्ति/भारत से बाहर निवासी व्यक्ति(जो लागू न हो उसे काट दें) [दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(24) या धारा 3(25) के निबंधनानुसार] :

ख. अर्हताएं: शैक्षिक, व्यावसायिक, दिवाला परीक्षा और रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम

(i) शैक्षिक अर्हताएं

[कृपया बैचलर डिग्री से आगे शैक्षिक अर्हताओं का ब्यौरा दें]

| क्रम | शैक्षिक | विश्वविद्यालय/ | उत्तीर्ण करने का | प्राप्तांक | श्रेणी/वर्ग | टिप्पणी, यदि |
|------|---------|----------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| सं. | अर्हता | महाविद्यालय | वर्ष | (%) | | कोई है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(ii) व्यावसायिक अर्हताएं [दिवाला व्यावसायिक विनियमों के विनियम 5(ग)(iv) के निबंधनान्सार]

| क्रम | व्यावसायिक | संस्थान/व्यावसायिक | सदस्यता सं./ | रजिस्ट्रीकरण/नामांकन | टिप्पणी, |
|------|------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|
| सं. | अर्हता | निकाय | नामांकन | की तारीख | यदि कोई है |
| | | | सं.(जो भी लागू | | |
| | | | हो) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |

(iii) दिवाला परीक्षा

| क्रम | परीक्षा/कार्यक्रम | उत्तीर्ण अथवा | संस्थान/संगठन | अंक(%)/ | उत्तीर्ण करने | टिप्पणी, |
|------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| सं. | का नाम | नहीं?(हां/नहीं) | का नाम | श्रेणी/वर्ग | की तारीख | यदि कोई |
| | | | | | | है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | सीमित दिवाला | | आई.बी.बी.आई | | | |
| | परीक्षा | | | | | |
| 2. | स्नातक दिवाला | | | | | |
| | कार्यक्रम | | | | | |
| 3. | राष्ट्रीय दिवाला | | | | | |
| | कार्यक्रम | | | | | |

(iv) रजिस्ट्रीकरण पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम:

क्या आपने रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है? (हां/नहीं) यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने की तारीख:(दिन/मास/वर्ष)

| (v) क्या आप रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक हैं? (हां/नहीं | (v) | क्या | आप | रजिस्ट्रीकृत | मूल्यांकक | हैं? | (हां/नहीं |
|---------------------------------------------------|-----|------|----|--------------|-----------|------|-----------|
|---------------------------------------------------|-----|------|----|--------------|-----------|------|-----------|

| \sim | • | | |
|--------|-----|----|---|
| यदि | हा, | तो | _ |

| | | (^ (| \sim | • |
|---|-----|--------------------|----------------------|-------------|
| 1 | ᆓ | आई.बी.बी.आई. | TI 3 T 2 1 2 T T T T | π |
| ı | 40 | າ ວາເຣ.໙ເ.໙ເ.ວາເຣ. | राजस्टाकरण | v a. |
| • | . , | - (| · · · · · · · | · |

(ख) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आर.वी.ओ.) का नाम___________ और,

(ग) आर.वी.ओ. नामांकन सं._____

ग. कार्य अनुभव

- (i) क्या आप वर्तमान में प्रैक्टिस/नियोजन में हैं? (प्रैक्टिस/नियोजन)
- (ii) प्रैक्टिस की कुल अवधि (वर्ष और पूर्ण मास में): वर्ष/मास
- (iii) नियोजन की कुल अवधि (वर्ष और पूर्ण मास में): वर्ष/मास
- (iv) अनुभव का ब्यौरा (बैचलर डिग्री के पश्चात् अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार के रूप में नामांकन की तारीख से)

| क्रम | तारीख | तारीख | नियोजन | | प्रैक्टिस | | कार्य |
|------|-----------|----------|--------|-------|--------------|--------------------|------------|
| सं. | (दिन/मास | (दिन/मा | | | | | का क्षेत्र |
| | /वर्ष) से | स /वर्ष) | नियोजक | पदनाम | अधिवक्ता/सी. | फर्म का नाम और | |
| | | तक | का नाम | | ए./सी.एस./सी | फर्म रजिस्ट्रीकरण | |
| | | | और पता | | .एम.ए. | संख्यांक, यदि लागू | |
| | | | | | | हो | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |

घ. अतिरिक्त जानकारी

- 1. क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।
- 2. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।
- 3. क्या आपको कभी शोधन अक्षम न्यायनिर्णीत किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।
- 4. क्या आपके विरुद्ध आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी.ए.आई.(लागत) विधिज्ञ पिरषद् या आर.वी.ओ. की कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हैं या पिछले तीन वर्षों में किसी समय आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें।

5. कृपया कोई अतिरिक्त जानकारी दें, जो इस बात का अवधारण करने के लिए सुसंगत है कि क्या आप उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं ।

पुष्टीकरण

मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के साथ पठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र हूं।

- 2. मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।
- 3. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें मैं नामांकित हूं, उपविधियों और बोर्ड तथा ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी, जो कि बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा जब भी मांगी जाए प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

संलग्नक

- 1. आवासीय सब्त की प्रति
- 2. पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट की प्रति
- 3. जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
- 4. डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन. आबंटन पत्र की प्रति
- 5. शैक्षिक अर्हता, व्यावसायिक अर्हता और दिवाला परीक्षा अर्हता और रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने के समर्थन में दस्तावेज़ों की प्रतियां
- 6. निम्नलिखित रूप में व्यवसाय प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियां -
 - (i) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट;
 - (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी सचिव;
 - (iii) भारतीय लागत अकाउंटेंट संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक लागत अकाउंटेंट; या
 - (iv) विधिज्ञ परिषद् में नामांकित एक अधिवक्ता
- 7. नियोजक (नियोजकों) से नियोजन प्रमाणपत्र की प्रतियां, जिनमें ऐसे नियोजन की अवधि विनिर्दिष्ट हो
- 8. पिछले तीन वर्षों की वितीय विवरणियां/आय-कर विवरणियां
- 9. किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में व्यावसायिक सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति

- 10. आई.पी. विनियमों के विनियम 6(1) के अधीन यथापेक्षित जी.एस.टी. सहित फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य
- 11. दोषसिद्धि, आपराधिक कार्यवाहियों, दिवाला/शोधन अक्षमता आदेश, अनुशासनिक कार्यवाहियों/कार्रवाइयों की बाबत जानकारी और आवेदन के लिए सुसंगत कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी, जो लागू हो (जिसके अंतर्गत संक्षिप्त तथ्य, सुसंगत आदेशों की प्रति और उसकी वर्तमान स्थिति भी है) के पृथक् सलग्नकों के रूप में ब्यौरे ।

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा सत्यापन

हमने निम्न प्रकार सत्यापित किया है:

| क्रम | सत्यापन | निष्कर्ष |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. | | |
| 1 | क्या व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध आई.सी.ए.आई., | हां/नहीं |
| | आई.सी.एस.आई., आई.सी.ए.आई.(लागत) विधिज्ञ | |
| | परिषद् या आर.वी.ओ. की, जिसका वह सदस्य है, कोई | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या पिछले तीन वर्षों में | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |
| | किसी समय उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई | |
| | की गई है? | |
| 2 | क्या आई.सी.ए.आई., आई.सी.ए.आई. (लागत), | हां/नहीं |
| | आई.सी.एस.आई., विधिज्ञ परिषद् या आर.वी.ओ. ने | |
| | व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | कार्यवाही आरंभ की है और वह निपटारे के लिए लंबित | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |
| | है ? | |
| 3 | क्या व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक | हां/नहीं |
| | कार्यवाही लंबित है? | |
| | | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |
| 4 | क्या व्यावसायिक सदस्य का पिछले नियोजक के पास | हां/नहीं |
| | सेवा अभिलेख, यदि वह नियोजन में था, बेदाग रहा | |
| | था? | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |
| 5 | क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम कारपोरेट कार्य | हां/नहीं |
| | मंत्रालय के डाटाबेस में निम्नलिखित के संबंध में प्रकट | |
| | होता है: | यदि हां, तो ब्यौरा दें और |
| | (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अधीन | अतिरिक्त कागज़पत्र संलग्न |

| | | T |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| | निरर्हित निदेशक; | करें । |
| | या | |
| | (ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन | |
| | उद्घोषित अपराधी? | |
| 6 | क्या व्यावसायिक सदस्य को सेबी और भारतीय | हां/नहीं |
| | प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में दंडित | |
| | किया गया है? | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |
| 7 | क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम भारतीय रिजर्व | हां/नहीं |
| | बैंक/उधार की जानकारी देने वाली कंपनी के | |
| | व्यतिक्रमियों की सूची में प्रकट होता है? | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |
| 8 | क्या व्यावसायिक सदस्य को किसी अपराध के लिए | हां/नहीं |
| | दोषसिद्ध किया गया है? | |
| | | यदि हां, तो ब्यौरा और |
| | | समर्थनकारी दस्तावेज़ दें । |

हमने (आवेदक का नाम) द्वारा, जो (सदस्यता सं.) वाला हमारा व्यावसायिक सदस्य है, प्रस्तुत किए गए ब्यौरों को सत्यापित किया है और यह पुष्टि करते हैं कि वे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं । हम (आवेदक का नाम) के आई.बी.बी.आई. में दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सिफारिश करते हैं ।

(नाम और हस्ताक्षर) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का प्राधिकृत अधिकारी (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की मोहर)

स्थान: तारीख:uu..]

द्वितीय अनुसूची
प्रारूप खभारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र

आईपी पंजीकरण सं.

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के अन्तर्गत]

- 1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र [नाम लिखें] को इन विनियमनों के अनुसार दिवाला व्यावसायिक के रूप में कार्य करने हेतु प्रदान करता है।
- 2. यह प्रमाणपत्र [तारीख लिखें] से वैध होगा।

ह./-

(नाम एवं पदनाम)

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान :

तारीख:

द्वितीय अनुसूची ²⁷[प्रारूप ग

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अधीन

सेवा में, कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.)

विषय: दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए आवेदन ।

महोदय/महोदया,

मैं, इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत होने के कारण, (आवेदक संस्था का नाम) की ओर से, जिसका रजिस्ट्रीकृत पता (आवेदक का रजिस्ट्रीकृत पता) है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अधीन दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूं। आवेदक और उसके निदेशकों/भागीदारों के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं:-

क. आवेदक के ब्यौरे

- 利用:
- 2. पता:
 - i. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:
 - ii. कारबार, यदि कोई है, का/के प्रमुख स्थान (स्थानों):
 - iii. आवेदक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए पता:
 - iv. आवेदक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए ईमेल पता:
 - v. आवेदक के साथ संपर्क के लिए टेलीफोन नं.:
- 3. गठन की प्रकृति: कंपनी/सीमित दायित्व भागीदारी/रजिस्ट्रीकृत भागीदारी(जो लागू न हो उसे काट दें)
- 4. कारपोरेट पहचान संख्यांक(सी.आई.एन.)/एल.एल.पी. पहचान सख्यांक (एल.एल.पी.आई.एन.)/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र:
- 5. पैन:
- 6. जी.एस.टी.आई.एन. (यदि उपलब्ध हो):

 $^{^{27}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- 7. यह आवेदन करने और आवेदक की ओर से बोर्ड के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क ब्यौरे:
 - i नाम:
 - ii. पदनाम:
- iii. पत्र-व्यवहार के लिए पता:
- iv. मोबाइल नं./लैंडलाइन नं.:
- v. ईमेल पता:

ख. आवेदन की तारीख को आवेदक के निदेशकों/भागीदारों के ब्यौरे

| क्रम | निदेशक/भा | निदेशक/भा | डी.आई.एन./ | पै | दिवाला | व्यावसा | शेयरों/ | क्या |
|------|-----------|-----------|------------|----|-----------|----------|---------|----------|
| सं | गीदार क | गीदार का | डी.पी. | न | व्यावसा | यिक | पूंजी | पूर्णका |
| ख्या | नाम | पता | आई.एन. | | यिक के | सदस्यता | अंशदा | लिक |
| | | | (यदि | | रूप में | सं. (यदि | न में | निदेशक |
| | | | उपलब्ध हो) | | रजिस्ट्री | लागू हो) | शेयर | है? |
| | | | | | करण सं. | | प्रतिशत | (हाँ/नही |
| | | | | | | | |) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5 | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | |) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ग. पात्रता [आई.पी. विनियमों के विनियम 12(1) के निबंधनानुसार]
- 1. आवेदक के गठन संबंधी दस्तावेज़ के अनुसार उसका एकमात्र उद्देश्य [एकमात्र उद्देश्य का वर्णने :
- 2. आवेदक का...... को यथा-विद्यमान शुद्ध मूल्य (तारीख आवेदन की तारीख से 90 दिन से अधिक पूर्व की नहीं होनी चाहिए)
 - (i) रकम:
 - (ii) शुद्ध मूल्य की तारीख:
- (iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र का विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्यांक:
- (iv) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र की तारीख:
- 3. आवेदक में शेयरधारिता या भागीदार के अंशदान के ब्यौरे:

(i) भागीदारी की दशा में

| भागीदार | पूंजी | कुल पूंजी | क्या भागीदार एक | दिवाला व्यावसायिक के |
|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| का नाम | अंशदान की | अंशदान में | दिवाला व्यावसायिक है | रूप में रजिस्ट्रीकरण |
| | रकम (रूपए) | प्रतिशत अंश | (हां/नहीं) | सं.,यदि लागू हो |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | का नाम | रकम (रूपए) | का नाम अंशदान की अंशदान में रकम (रूपए) प्रतिशत अंश | का नाम अंशदान की अंशदान में दिवाला व्यावसायिक है रकम (रूपए) प्रतिशत अंश (हां/नहीं) |

(ii) कंपनी की दशा में

| क्रम | शेयरधारक | धारित | धारित | क्या | क्या शेयरधारक | दिवाला |
|------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| सं. | का नाम | शेयरों का | शेयरों का | शेयरधारक | एक दिवाला | व्यावसायिक के |
| | | संख्या | प्रतिशत | एक निदेशक | व्यावसायिक है | रूप में |
| | | | | है (हां/नहीं) | (हां/नहीं) | रजिस्ट्रीकरण |
| | | | | | | सं.,यदि लागू हो |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

5. क्या आवेदक की दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में इससे पूर्व किसी समय मान्यता रदद की गई थी? (हां/नहीं)

यदि हां, कृपया मान्यता प्रदान करने की तारीख और मान्यता रद्द करने का आधार प्रस्तुत करें ।

6. क्या बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किसी ऐसे निदेशक/भागीदार के विरुद्ध, जो दिवाला व्यावसायिक हैं, कोई अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई ? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।

पुष्टिकरण

मैं, (आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -

- (i) आवेदक दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने का पात्र है।
- (ii) आवेदक का कोई भी, यथास्थिति, भागीदार/निदेशक किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का निदेशक या भागीदार नहीं है ।

- 2. मैं, यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।
- 3. मैं, (आवेदक संस्था का नाम) की ओर से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों और परिपत्रों की अपेक्षाओं और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का, जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अधिरोपित की जाएं, पालन करने का वचन देता हूं।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम)

(पदनाम)

स्थान:

तारीख:

संलग्नक

- 1. बोर्ड/भागीदारों के उस संकल्प की प्रति, जिसके द्वारा व्यक्ति को यह आवेदन करने और बोर्ड से पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।
- 2. आवेदक के सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन./रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
- 3. आवेदक के पैन की प्रति
- 4. आवेदक के जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
- 5. आवेदक के संगम ज्ञापन/एल.एल.पी. करार/रजिस्ट्रीकृत भागीदारी विलेख की प्रति
- 6. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए श्द्ध मूल्य प्रमाणपत्र की प्रति, यदि कोई है
- 7. आवेदक की वित्तीय विवरणियों की प्रति(जिसके अंतर्गत उसी तारीख को, जिसको आवेदक का शुद्ध मूल्य प्रस्तुत किया गया है, अनंतिम वित्तीय विवरणी भी है)
- 8. बोर्ड द्वारा उन दिवाला व्यावसायिकों को, जो आवेदक के, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार
- हैं, जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
 - 9. आई.पी. विनियमों के विनियम 12(2) के अधीन यथापेक्षित जी.एस.टी सहित फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य" ।

द्वितीय अनुसूची प्रारूप घ

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड मान्यता प्रमाण पत्र दिवाला व्यावसायिक निकाय मान्यता संख्या

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016]

- 1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016 के विनियम 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बोर्ड प्रमाण पत्र [नाम लिखें] को दिवाला व्यावसायिक निकाय, के रूप में मान्यता प्रदान करता है
- 2. यह मान्यता प्रमाण पत्र [शुरुआत तारीख अन्तस्थापित करें] से वैध होगा

ह./-प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम) (पदनाम)

स्थान:

तारीख:

²⁸[प्ररूप ङ

[भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7(2)(गक) के अधीन]

सेवा में,

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: दिवाला व्यावसायिक की व्यावसायिक फीस की वार्षिक विवरणी । महोदय/महोदया,

1. मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें) दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपनी सेवाओं से वित्तीय वर्ष......(वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें) में अर्जित (चाहे प्राप्त की गई हो या नहीं) व्यावसायिक फीस की निम्नलिखित रूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता हूं:

| क्रम सं. | ऋणी का | (अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान | वर्ष के लिए दिवाला |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|
| | नाम | व्यावसायिक/समापक/न्यासी/अन्य, यदि कोई | व्यावसायिक के रूप |
| | | है)) के रूप में प्रदान की गई सेवाएं | में व्यावसायिक |
| | | | फीस(रूपयों में) |

 $^{^{28}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

| 1 | | |
|-----|--|--|
| 2 | | |
| 3 | | |
| कुल | | |

2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं:

| क्रम सं. | किस विनियम के अधीन | संदेय रकम (रुपयों में) |
|----------|---------------------|------------------------|
| 1. | विनियम 7(2)(गक) | |
| 2. | विनियम 15, से | |
| | तक ब्याज के रूप में | |
| कुल | | |

- 3. ऊपर पैरा 2 में निकाली गई रुपए की धनराशि बोर्ड के खाते में...... द्वारा जमा करा दी गई है ।
- 4. मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -
- i. इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी समस्त तात्विक दृष्टि से सत्य और सही है और
- ii. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत किसी भी तात्विक जानकारी को छिपाया नहीं किया गया है ।

भवदीय

स्थान:

(नाम)

तारीख:

(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)]

²⁹[प्ररूप च

[भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ख) और विनियम 13(2)(ग) के अधीन

सेवा में, कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

 $^{^{29}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विषय: किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था में निदेशक/भागीदार न रहने/शामिल होने की जानकारी।

महोदय/महोदया,

मैं, (*नाम अंतःस्थापित करें*), जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के उप-विनियम (2)(ख) और/या उप-विनियम (2)(ग) के अनुपालन में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं:

क. आई. पी. ई. के ब्यौरे

- (क) आई.पी.ई. का नाम:
- (ख) बोर्ड द्वारा मान्यता देने की तारीख:
- (ग) मान्यता संख्यांक:
- (घ) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता:
- (ङ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम:

ख. उस निदेशक/भागीदार के ब्यौरे, जो आई.पी.ई. का भागीदार/निदेशक नहीं रहा है

| विवरण | विशिष्टियां |
|------------------------------------------------------|-------------|
| निदेशक/भागीदार के ब्यौरे | |
| (क) नाम | |
| (ख) आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.(यदि लागू हो) | |
| (ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख(यदि लागू हो) | |
| (घ) बोर्ड के पास आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकृत ईमेल | |
| पता (यदि लागू हो) | |
| भागीदार/निदेशक न रहने के ब्यौरे | |
| (क) निदेशक/भागीदार के रूप में न रहने की तारीख | |
| (ख) क्या पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहा है? | |
| (ग) निदेशक/भागीदार न रहने का कारण (त्यागपत्र/हटाया | |
| जाना/कोई अन्य) | |
| (घ) संबंधित प्राधिकारी के पास निदेशक/भागीदार न रहने | |
| की सूचना फाइल करने की तारीख | |
| | |

ग. उस निदेशक/भागीदार के ब्यौरे, जो आई.पी.ई. में शामिल हुआ है

| विवरण | विशिष्टियां |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

| निदेशक/भागीदार के ब्यौरे | |
|-------------------------------------------------------|--|
| (क) नाम | |
| (ख) आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं. (यदि लागू हो) | |
| (ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख(यदि लागू हो) | |
| (घ) बोर्ड के पास आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकृत ईमेल | |
| पता (यदि लागू हो) | |
| भागीदार/निदेशक के रूप में शामिल होने के ब्यौरे | |
| (क) निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल होने की तारीख | |
| (ख) क्या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में शामिल ह्ए हैं | |
| (ग) संबंधित प्राधिकारी के पास निदेशक/भागीदार के रूप | |
| में शामिल होने की सूचना फाइल करने की तारीख | |

घ. निदेशक/भागीदार न रहने/शामिल होने के पूर्व और पश्चात् आई.पी.ई. के बोर्ड/भागीदारी की संरचना

| | संरचन | ा (निदेशक/भागीदार | न र | हमे के पूर्व/ | | संरचना (निदेशक/भागीदार न रहने के पश्चात्/ | | | |
|------|---------|--------------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | शामिल) | | | शामिल) | | | | |
| क्रम | निदेशक/ | पदनाम | आई. | पी. के रूप | में | यथास्थिति, | पदनाम | आई.पी. के रूप में | |
| सं. | भागीदार | (यथास्थिति, | हैसिय | ग त | | निदेशक | (यथास्थिति,पूर्ण | हैसिर | यत |
| | का नाम | <u>पू</u> र्णकालिक | | | | /भागीदार | कालिक | | |
| | | निदेशक/ निदेशक/ | | | | का नाम | निदेशक/निदेशक | | |
| | | भागीदार) | | | | | /भागीदार) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | हां/ | यदि हां, | तो | | | हां/ | यदि हां,तं |
| | | | नहीं | आई.पी. | | | | नहीं | आई. |
| | | | | रजिस्ट्रीकरप | т | | | | पी.रजिस्ट्रीकर |
| | | | | संख्यांक | | | | | ण संख्यांक |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) (5) | | (6) | (7) | (8) (9) | |
| | | | | | | | | | |

पुष्टीकरण

- मैं, (आई.पी.ई. का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -
- (i) मैं उपर्युक्त जानकारी आई.पी.ई. के, यथास्थिति, निदेशक/भागीदार न रहने या शामिल होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत कर रहा हूं;
- (ii) आई.पी.ई. का कोई, यथास्थिति निदेशक या भागीदार किसी अन्य आई. पी.ई.का भागीदार या निदेशक नहीं है; और

2. मैं (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में अंतर्विष्ट समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनसार पूर्ण और सही है।

भवदीय

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम)

(पदनाम)

स्थान:

(आई.पी.ई. का नाम)

तारीख:

(आई.पी.ई.

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)

संलग्नक

- 1. आई.पी.ई. के निदेशक/भागीदार के रूप में न रहने/शामिल होने वाले निदेशक/भागीदार का प्रतिज्ञान (उपाबंध I/II में)
- 2. यथास्थिति, विनियम 13(2)(ख), विनियम 13(2)(ग) और विनियम 15 की अपेक्षानुसार जी.एस.टी सिहत फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य (कृपया नोट करें कि प्रत्येक निदेशक/भागीदार के न रहने/शामिल होने की बाबत यथालागू जी.एस.टी. सिहत दो हजार रुपए की फीस संदेय है)।

प्ररूप च का उपाबंध I

[भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ख) और विनियम 13(2)(ग) के अधीन]

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: (आई.पी.ई. का नाम) का निदेशक/भागीदार न रहने पर घोषणा ।

महोदय/महोदया,

मैं......(नाम) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं(आई.पी.ई. का नाम) का......(दिन-मास-वर्ष) से निदेशक/भागीदार नहीं रहा हूं, जिसका आई.पी.ई. मान्यता संख्यांक....... है। तथापि, मैं आई.पी.ई. द्वारा उस समय किए गए प्रत्येक लोप या कार्य के लिए उत्तरदायी रहूंगा जब मैं उसका निदेशक/भागीदार था।

भवदीय

प्ररूप च का उपाबंध ॥

[भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ख) और विनियम 13(2)(ग) के अधीन

| सेवा में, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग) |
| भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड |
| विषय: (आई.पी.ई. का नाम) के निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल होने पर शपथपत्र । |
| महोदय/महोदया, |
| मैं(नाम) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं(आई.पी.ई. का नाम) में(दिन-मास-वर्ष) से निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल हो गया हूं, जिसका आई.पी.ई. मान्यता संख्यांक है। |
| मैं किसी अन्य आई.पी.ई. में निदेशक/भागीदार नहीं हूं । |
| भवदीय |
| (निदेशक/भागीदार का नाम)"। |
| |
| प्ररूप छ |
| [भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 13(2)(गक) के अधीज़] |
| सेवा में, |
| महाप्रबंधक (दिवाला व्यावसायिक संस्था प्रभाग) |
| भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड |
| विषय: किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के आवर्त की वार्षिक विवरणी । |
| महोदय/महोदया, |
| 1. मैं, (नाम अंतःस्थापित करें), जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं,(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम लिखिए) द्वारा वितीय वर्ष(वितीय वर्ष अंतःस्थापित करें) में प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त (चाहे प्राप्त किया गया है अथवा |
| אין אינויג אוויזען אינן פו אין אין אין אין אין אין אין אין אין אינויא אווען אינן אינן אינויא אינויא אינויא אינוי |

| नहीं) की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता हूं : | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| क्रम सं. | ऋणी का | दिवाला व्यावसायिक का नाम, | प्रदान की गई | वर्ष के लिए | | | | | | |
| | नाम | जिसने अंतरिम समाधान | सेवा के प्रकार | प्रदान की गई | | | | | | |

| | व्यावसायिक/ समाधान | का व्यापक | सेवाओं से |
|-----|---------------------------------|-----------|--------------|
| | व्यावसायिक/ समापक/ | विवरण | हुआ आवर्त |
| | न्यासी/अन्य, यदि कोई है, के रूप | | (रुपयों में) |
| | में सेवाएं प्रदान की | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| कुल | | | |

2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं:

| क्रम सं. | किस विनियम के अधीन | संदेय रकम (रुपयों में) |
|----------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | विनियम 13(2)(गक) | |
| 2. | विनियम 15, से तक ब्याज के रूप में | |
| कुल | | |

| 3. | ऊपर | पैरा | 2 ਸੌ | नें निकाल | गे गई | रुपए | की | धनराशि | बोर्ड | के | खाते | में | द्वारा |
|----|-------|------|------|-----------|-------|----------|----|--------|-------|----|------|-----|--------|
| ज | मा कर | ा दी | गई | है । | | | | | | | | | |

- 4. मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -
- i. इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी समस्त तात्विक दृष्टि से सत्य और सही है और
- ii. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत किसी भी तात्विक जानकारी को छिपाया नहीं किया गया है ।

भवदीय

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम)

| स्थ | नि | ì |
|-----|----|---|
| 44 | IП | ٠ |

तारीख: (पदनाम)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता प्रमाणपत्र संख्यांक)

³⁰[प्ररूप ज

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2) के अधीन

सेवा में,

कार्यपालन निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के उप-विनियम 2(गख) के अधीन अनुपालन प्रमाणपत्र ।

महोदय/महोदया

- 1. मैं(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), जो कि (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से, जिसका (दिवाला व्यावसायिक संस्था का रिजस्ट्रीकरण संख्यांक) है, इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत होने के कारण यह प्रतिज्ञान करता हूं कि दिवाला व्यावसायिक संस्था ने वित्तीय वर्ष...... के दौरान -
- (क) हमेशा दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (1) के खंड (क) से खंड (छ) तक का अनुपालन किया है; और
- (ख) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से खंड (गक) तक का अनुपालन किया है
- 2. मैं(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं, जिससे निम्नलिखित के संबंध में 31 मार्च (वर्ष) को यथा-विद्यमान प्रास्थिति प्रदर्शित होती है:-
 - (i) आई.पी.ई. के कारबार का एकमात्र उद्देश्य/स्वरूप: [एकमात्र उद्देश्य का वर्णन]
 - (ii) आई.पी.ई. का शुद्ध मूल्य:
 - (iii) निदेशक/भागीदार:

डी.आई.एन./ निदेशक/भा निदेशक/भा पै दिवाला शेयरों/ व्यावसा क्या क्रम पूंजी पूर्णका डी.पी. सं गीदार का गीदार का न व्यावसा यिक आई.एन. पता यिक के अंशदा लिक ख्या नाम सदस्यता

 $^{^{30}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

| | | | (यदि | | रूप में | सं. (यदि | न में | निदेशक |
|-----|-----|-----|--------------------|----|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| | | | (यदि उपलब्ध हो) | | रजिस्ट्री | सं. (यदि लागू हो) | शेयर | है? |
| | | | | | करण सं. | | प्रतिशत | है? (हाँ/नही |
| | | | | | | | |) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5 | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | |) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- (iv) कोई भी, यथास्थिति, निदेशक/भागीदार किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदार या निदेशक नहीं है ।
- 3. मैं, (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस प्ररूप में अंतर्विष्ट समस्त जानकारी मेरे सर्वीतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही है ।

भवदीय

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम)

(पदनाम)

(आई.पी.ई. का नाम)

(आई.पी.ई. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)

स्थान:

तारीख:

संलग्नक

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया आई.पी.ई. का (अंतिम वितीय वर्ष की समाप्ति पर) शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र तथा वितीय वर्ष की समाप्ति पर आई.पी.ई. की लेखापरीक्षित वितीय विवरणियों की प्रति" ।]

_

डा. एम. एस. साह् अध्यक्ष

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड